

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई )/अलेसे III/निप लिंक न . 11620 / 1062

दिनांक :- 25-04-2018

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री मगन लाल [लिंक न . 11620] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, डूंगरपुर - [1023] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 11/09/2017 से 22/09/2017 तक 12 दिवस

कुल 12 दिवस

उक्त कुल 12 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री मगन लाल की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई )/अलेसे III/निप लिंक न . 11620 / 1062

दिनांक :- 25-04-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, डूंगरपुर
2. कोषाधिकारी डूंगरपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री मगन लाल [11620] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, डूंगरपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)